लोकमत समाचार

शक्ति के केंद्रीकरण का प्रयास

जवाहर सरकार
आईएएस अधिकारी (सेवानिवृत्त)
एवं प्रसार भारती के पूर्व सीईओ

सरकार देश की संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी शक्तियों और निर्णय प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने का जो अशोभनीय प्रयास कर रही है उससे देश में और विदेशों में भी हर उदारवादी व्यक्ति स्तब्ध है. स्वतंत्र भारत में विकसित होने वाली हर राष्ट्रीय संस्था को व्यवस्थित ढंग से नष्ट या कमजोर किया जा रहा है. न्यायपालिका को अस्थिर करने और कार्यपालिका को पंगु करने के बाद, अब सरकार की निगाहें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) पर लगी हैं और उसका वर्तमान प्रयास इसकी चयन प्रक्रिया को अस्त-व्यस्त करने को लेकर है. इस तथ्य के बावजूद कि संविधान की धारा 320 ने केवल यूपीएससी को ही शासन के अंतर्गत विभिन्न पद भरने के लिए उम्मीदवारों के चयन का अधिकार दिया है, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप का प्रयास कर रही है. सरकार ने अपने मंत्रालयों से कहा है कि उम्मीदवारों की प्रस्तावित नियुक्ति संबंधी लोकसेवा आयोग की सिफारिश पर अंतिम निर्णय वे स्वयं लें. कौन से अधिकारी की किस राज्य में नियुक्ति होगी, यह मंत्रालय तय करे.

आइए देखें कि वर्तमान प्रणाली किस तरह से काम करती है. पिछले 70 वर्षों से, यूपीएससी ने लाखों उम्मीदवारों में से चयन के लिए समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली पद्धति से दो चरणों में परीक्षाएं आयोजित करने की प्रणाली स्थापित की है - प्राथमिक और अंतिम - जिसमें कठिन सवालों के जरिए उम्मीदवारों की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है. यह विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली से एकदम अलग है, जिसमें जोर अकादमिक योग्यता जांचने पर रहता है. यूपीएससी में जिस बात पर ध्यान दिया जाता है वह पाठ्यपुस्तकों को याद रखने का कौशल नहीं है, बल्कि दबावों का सामना करने और ठंडे दिमाग से उनसे निपटने की क्षमता है. अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी हैं जिन्हें परीक्षा प्रणाली और चयनित उम्मीदवारों के लिए जाने वाले साक्षात्कार में शामिल किया जाता है, ताकि बोर्ड यह उचित मूल्यांकन कर सके कि कठिनाइयों भरी परिस्थिति का सामना करने की क्षमता किसमें है. भारत में सिविल सेवकों के ईमानदारी से चयन का एक ट्रैक रिकार्ड है, हालांकि बाद में वे कैसा काम करते हैं, यह बिल्कुल अलग बात है. भ्रष्ट और अकार्यक्षम अधिकारियों की संख्या कम नहीं है. लेकिन यूपीएससी को कोई गलत चयन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता. इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार वह प्रणाली है जिसमें युवा अधिकारियों को डाल दिया जाता है और वह क्रूर व्यवहार है जो राजनीतिक वर्ग और अपने वरिष्ठों से देखने को उन्हें मिलता है.

संघ लोक सेवा आयोग हर साल कठिन परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए कैडर का चयन करता है. इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर काम करने में सक्षम बनाया जाता है. आयोग केंद्र सरकार के पास सिफारिश भेजता है कि किसे किस राज्य में भेजना है - और यह काम एक बहुत ही पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है. इन तीन अखिल भारतीय सेवाओं का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार को अपनी सेवा प्रदान करना होता है, जहां भी उन्हें भेजा जाए. इसलिए चयन में निष्पक्षता जरूरी है. हर वर्ष धुर दक्षिणी राज्य के उम्मीदवारों को सुदूर उत्तर या पूर्वोत्तर के राज्यों में नियुक्त किया जाता है और इसका विपरीत भी होता है. इससे सुनिश्चित होता है कि अगर कोई राज्य सरकार संकुचित मनोवृत्ति अपनाए भी और भारत से अलग होने की इच्छा रखे, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी तब भी भारतीय संघ के लिए ही काम करेंगे.

पिछले 70 वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम किया है. लेकिन सरकार का नया प्रस्ताव है कि सभी निर्णय लेने का दायित्व यूपीएससी के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए. अखिल भारतीय तीन सेवाओं में से कौन किस सेवा में और किस राज्य में जाएगा, यह सरकार तय करेगी. क्यों? उसका कहना है कि यूपीएससी की रैंकिंग के अलावा, उम्मीदवार के ट्रेनिंग अकादमी में किए गए प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाए. सभी सेवाओं के लिए तीन महीने का फाउंडेशन कोर्स है. उसके आधार पर कौन सा व्यक्ति महाराष्ट्र अथवा मिजोरम में काम करने लायक है, यह कैसे तय होगा? प्रशिक्षण को ज्यादा महत्व देने से प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षकों को लुभाने के लिए गलत साधनों का इस्तेमाल किए जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता.